




न्यायालय

उपनाम

बनाम

सुनवाई नं.

दुए नोए फेद में (कारिफरिमा) का चक्र  
 है। ऐसी स्थिति में डूफ का फेद पत्र, क०  
 व्याप 212 RTA (T) प्रशासन की कानूनी  
 प्रमाण पत्र का कोई कारिफरिमा नहीं  
 है। अतः कावेरि पत्र क० व्याप 212  
 RTA (T) प्रशासन का कावेरि पत्र  
 क० व्याप 212 RTA (T) पत्र के कारिफरिमा  
 के पुनर्निर्माण का कानूनी प्रमाण पत्र क०  
 व्याप 212 RTA (T) प्रशासन नोए फेद  
 में (कारिफरिमा) का है। पत्रावली का फेद  
 शुभारंभ के बाद कारिफरिमा का फेद प्रमाण  
 है। निर्णय का दि. नं. 18/8/2025 का  
 (पुनर्निर्माण) के पुनर्निर्माण /

  
 सहायक कलेक्टर (मु.) सीकर